

उत्तराखण्ड शासन  
उच्च शिक्षा अनुभाग-4  
संख्या-431 /XXIV-C-4/2024 -03(03)/2023  
देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2024

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में अनुरोध के आधार पर सुसंगत धारा के अधीन निम्नलिखित स्नातकोत्तर प्राचार्य को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित राजकीय महाविद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री विश्वनाथ खाली	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ (चमोली)।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, (चमोली)।

2. श्री विश्वनाथ खाली को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-24 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ब्योमकेश दूबे)  
उप सचिव।

संख्या एवं तिथि: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीन तैनाती स्थान पर एक सप्ताह के भीतर योगदान न देने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाय।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा।
8. गार्ड फाईल।

  
(ब्योमकेश दूबे)  
उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ०सं०: 1834 / डिग्री सेवा-1 / स्थाना०पत्रा० / 2024-25

दिनांक: 25 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जोशीमठ (चमोली) / कर्णप्रयाग (चमोली)। (पंजीकृत)
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा-सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी को इस निर्देश के साथ कि नवीन तैनाती स्थान पर एक सप्ताह के भीतर योगदान न देने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाय।
4. सम्बन्धित अधिकारी/प्राचार्य।
5. संगणक/एम०आई०एस० सह-नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा निदेशालय।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० अन्जु अग्रवाल)

प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा  
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)